



पैराग्वे के एक कानून में दो संशोधनों के बाद वहां के संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा, मैडानोस डैल चाको नैशनल पार्क "सार्वजनिक स्थान" के रूप में नामजद हो जाएगा, जिसके बाद सरकार को उस हाइड्रोकार्बन इण्डस्ट्री में निवेश की छूट मिल जाएगी, जिसे कई वर्ष पहले इस क्षेत्र से निकाला गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में खनन व नैचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, जबकि, व्यापक रूप से इस कदम का विरोध किया जा रहा है, यह तर्क देकर कि, इस तरह के विकास से यहां का नाजुक सवाना इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ईको डवलपमेंट नॉन प्रॉफिट संस्था, ऑल्टा वीडा की प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर मौनिका सैन्टून ने कहा, "ड्रिलिंग होगी, भारी शोषण होगा और अन्य कम्पनियों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा हुआ तो पार्क नष्ट हो जाएगा।" देश के उत्तर पश्चिम का यह नैशनल पार्क 605,075 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह नैशनल पार्क एक विशाल बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र, जैसे डिफेंसर्स डैल चाको नैशनल पार्क और बोलीविया का का-ईया नैशनल पार्क भी शामिल हैं। यह पार्क अपने अनूठे, शुष्क जंगल व सवाना इकोसिस्टम के कारण युनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज स्टेटस के लिए भी विचारधीन है। इस क्षेत्र की जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। यहां जाएंट आर्माडिलो, पैंटनल कैंट और गुआनाको (लामा गुआनिकोई) जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलीय चट्टान परत येरुडा और मीठे पानी की टाइमनी नदी भी है। इस पार्क में 130 स्थानीय आदिवासी वारानी नैन्दावा परिवार एवं एयोरोयो कबीले रहते हैं। ये सभी लोग यहाँ के फ्रेश वॉटर रिजर्व्स पर निर्भर हैं, जो कि भविष्य में होने वाली ड्रिलिंग से जोखिम में पड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में खनन के लिए कई नैचुरल गैस कम्पनियों के पास परमिट है पर 2016 में इन कम्पनियों को अपना काम बंद करना पड़ा था क्योंकि पार्क की सीमा का विस्तार हो गया था और उनका खनन क्षेत्र भी संरक्षित दायरे में आ गया था।

## मानहानि मामले में सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की

अहमदाबाद, 25 अप्रैल। 2019 में लोकसभा सभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया गया एक बयान उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। इस बयान की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई।

साल 2005 से जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, वह खाली करना पड़ा। गुजरात की एक निचली अदालत उन्हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई, जिसे सूरत सेशन कोर्ट ने भी कायम रखा। अब इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है।

मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती

■ इस केस के कारण ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता तथा 2005 से प्राप्त सरकारी आवास दोनों खोने पड़े हैं।

दी है। वहीं इससे पहले 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

दरअसल, 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश

मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।

### रणनीतिज्ञों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इस मौके पर, कर्नाटक के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, विधायक यतीन्द्र सिद्धरामैया आदि उपस्थित थे। प्रियंका मैसूर और चामराजगनर जिलों में भी चुनाव प्रचार करेंगी।

## कांग्रेस ने 'पी.एम. केअर्स फंड' पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता)। कांग्रेस ने पी.एम. केअर्स फंड को हर स्तर पर मोदी सरकार की निराधार पहल करार देते हुए कहा है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है इसलिए इस बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निधि में बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है लेकिन आखर्ष की बात यह है कि देश में इतने बड़े स्तर पर इस निधि से पैसे का आय-व्यय हो रहा है लेकिन इसका न कोई कानूनी आधार है और न इस बारे में विधायिका की कोई अधिसूचना है।

उन्होंने कहा कि पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब सूचना के अधिकार के तहत होते हैं लेकिन इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसमें 5900 करोड़ रुपए की रकम सरकारी कंपनियों तथा मिनी रल और नगरल कंपनियों से आई है लेकिन सरकार

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने घोषणा की आशंका जताते हुये कहा, इस निधि में बहुत बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है, लेकिन इसका कोई हिसाब-किताब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब राइट टू इन्फोर्मेशन (आर.टी.ई.) के तहत होते आते हैं, लेकिन 'पी.एम. केअर्स फंड' के मामले में ऐसा नहीं है। इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है।

कहती है कि इसके लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं है। पी.एम. केअर्स में 60 प्रतिशत ओ.एन.जी.सी., एन.टी. पी. सी., आई.ओ.सी. के साथ ही सरकार द्वारा संचालित फर्मों से आता है इसलिए इसको लेकर जवाबदेही तथा पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस बारे में जवाब देगी और श्वेत पत्र जारी करेगी। पी.एम. केअर्स को जबरदस्ती, अराजकता, धम और भ्रष्टाचार करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने

## कुछ हिचकिचाहट के बाद अखिलेश ...

समझाया कि, विपक्षी एकता का आख्यक डी.के. शिव कुमार ने भी वादा कर दिया कि, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों का यह आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जायेगा।

शिव कुमार ने कहा, "वे (सरकार) यह सोचते हैं कि, आरक्षण का बंटवारा सम्पत्ति की तरह किया जा सकता है। यह सम्पत्ति नहीं है। यह (अल्पसंख्यकों) का अधिकार है।" अन्य कांग्रेस नेताओं, जैसे ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, ने भी मंगलवार को कहा कि, भाजपा ने "कर्नाटक की जनता को धोखा दिया है।" उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि "भाजपा की बोम्बई सरकार के 'आरक्षण के फर्जीबाड़े' की कलाई एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में खुल गई है।" उन्होंने मांग की कि "प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री बोम्बई जवाब दें कि, उन्होंने वोकलिंग, लिंगायत तथा एस.सी./एस.टी. के लोगों के साथ छल क्यों किया क्योंकि भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय का कोई बचाव नहीं किया।"

# गलवान की झड़प के बाद पहली बार मिलेंगे चीन और भारत के रक्षा मंत्री

## चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू 27 अप्रैल को भारत आयेंगे

■ ली शांगफू 27 अप्रैल से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एस.सी.ओ.) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान शांगफू की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता होने की उम्मीद है।


चीन के राष्ट्रपति शी जिन्पिंग के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जनरल ली की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के मध्य तनावपूर्ण गतिरोध के बीच हो रही है।

चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आमंत्रण पर चीनी स्टेट

काउंसिलर और रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू 27-28 अप्रैल से नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। बयान में कहा गया, "बैठक के दौरान, जनरल ली सम्मेलन को संबोधित करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय हालात के साथ-साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मुद्दों पर संवाद करने एवं विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए संबंधित देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मिलेंगे।"

जनरल ली के रक्षा मंत्री सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करने और गतिरोध को हल करने के लिए सैन्य तथा कूटनीतिक वार्ता की प्रगति पर चर्चा करने की संभावना है। जनरल ली के दौरे से पहले, चीनी रक्षा मंत्रालय ने 23 अप्रैल को चूशुल-मोल्दो सीमा स्थल पर आयोजित चीन-भारत कोर कमांडर स्तरिय बैठक के 18वें दौर के बारे में

सकारात्मक बात की। चीन ने कहा है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम करने के अलावा पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध से संबंधित 'प्रासंगिक मुद्दों' के समाधान को 'तेज' करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रासंगिक मुद्दों



शिरोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पंजाब की राजनीति के पितामह प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री रहे। 27 मार्च 1970 को जब वे पहली बार मु.मंत्री बन तब उनकी उम्र 42 साल थी। सबसे ज्यादा पांच बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। उनके निधन पर दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।

## क्या आनंद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दिया था। उस वक्त, नीतीश कुमार की पार्टी जे.डी.(), भाजपा की गठबंधन सहयोगी थी और प्रकट रूप से मुख्यमंत्री, राज्य के कुल 4 प्रतिशत राजपूत वोट बैंक के समर्थन को लेकर सुनिश्चित थे लेकिन अरि परदृश्य बदल गया है, ऊंची जातियों में नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस घटता नजर आ रहा है। असउड़ीन ओवेसी की ए.आई.एम.आई.एम. जैसी पार्टियों के राज्य में प्रवेश करने के साथ ही मुस्लिम, ओ.बी.सी. और महादलित वोटर्स पर नीतीश कुमार की पकड़ भी कमजोर पड़ रही है। कोरी जाति के नेता उपेन्द्र कुशवाहा ने जब हाल ही में जे.डी. (यू) छोड़ने और अपनी स्वयं की पार्टी गठित करने की घोषणा की थी, तब कुमार के कुर्मी-कोरी जातिगत प्रबंधन को भी एक झटका लगा था। कुमार कुर्मी जाति से हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि, कुशवाहा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा से जुड़ जाएंगे।

आनंद मोहन सिंह को रिहाई को, राजपूत व ऊंची जातियों के वोटर्स पर थोड़ी पकड़ बनाए रखने और भाजपा के प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अपना

जनाधार बनाने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आनंद मोहन राजपूत हैं और बिहार में राजनीतिक महत्व रखने वाले मिथिलांचल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव है।

### 'दिव्यांगों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मांगे गए याचिका में कहा गया कि, राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 के तहत दिव्यांग श्रेणी के अर्थव्यथियों को भर्ती में चार फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ऐसे में इस भर्ती में बीस पद दिव्यांग अर्थव्यथियों के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए थे। इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिर्फ पांच पद ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे। याचिका में कहा गया कि, दिव्यांगों के लिए चार फीसदी पद आरक्षित रखने का विधिक प्रावधान होने के बावजूद बोर्ड ने कानून की उपेक्षा कर तय पदों के मुकामले केवल एक चौथाई पद ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।